केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60044 दिनांक: 26.03.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50142

अपीलकर्ता : श्री नवीन,
न्याय मंच (एन.जी.ओ.),
352ई/11ए, मुनिरका, जे.एन.यू. के सामने,
नई दिल्ली - 110067.

निर्णय की तारीख: 26.03.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.02.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.03.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत श्री विनोद बाबू, कंसलटेंट से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के बिंदु सं. 3 से संबंधित सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 के तहत सूचना मांगी गई थी कि - "वर्तमान समय में CIC में कार्यरत रिटायर्ड कंसलटेंट श्री सी विनोद बाबू के कार्यकाल में 30.06.2018 के बाद कितने समय अवधि की बढ़ोतरी CIC प्रशासन द्वारा की गई थी और श्री सी विनोद बाबू का कार्यकाल कब तक का है" के प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. सी0आई0सी0ओ0एम0/आर0/2019/50142 दिनांक 07-03-2019 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि श्री विनोद बाबू का कार्यकाल 31.10.2019 तक है, जो कि बिल्कुल तथ्यानुसार है । **अत: श्रीमती सविता तलूजा द्वारा प्रदान की गई सूचना में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।